(1)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **आर.के. जैन**

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी-725-तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 12-02-2014 पारित द्वारा तहसीलदार छतरपुर, जिला- छतरपुर प्रकरण क्रमांक 01/अ-12/2012-13

रामस्वरूप शर्मा तनय स्व. श्री शिवदुलारे शर्मा
निवासी गौरगांय तहसील व जिला छतरपुर म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

1. सुरेश कुमार रिछारिया तनय श्री बाबूलाल रिछारिया
   निवासी गौरगांय तहसील व जिला छतरपुर म.प्र.
2. म.प्र.शासन

.....अनावेदकगण

---

(1) श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
(2) श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक,अनावेदक क्र. (1)
(3) श्री ए.के. निरंकारी, अभिभाषक, अनावेदक शासन

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 20/7/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार छतरपुर, जिला- छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/अ-12/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 12-02-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार छतरपुर को अनुविभागीय अधिकारी के पत्र क्रमांक 109/अ.वि.अ./2013 छतरपुर दिनांक 29-05-2013 द्वारा अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा मौजा गौरगांय खसरा नंबर 567 रकबा 0.113 हे. का सीमांकन प्रतिवेदन के साथ पंचनामा नजरी नक्शा, फील्ड बुक इस निर्देश के साथ भेजे गये थे कि उभयपक्षों को सुनवाई उपरांत नियमानुसार निराकरण करें । तहसीलदार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के पत्र के पालन में प्रकरण

क्रमांक 01/अ-12/2012-13 दर्ज कर कार्यवाही प्रांरभ की गई । कार्यवाही के दौरान रामस्वरूप शर्मा (आवेदक) द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर एस.एल.आर. द्वारा किये गये सीमांकन को निरस्त करने का अनुरोध किया गया, जिसे तहसीलदार द्वारा दिनांक 12-02-2014 को आदेश पारित कर आवेदक की आपत्ति निरस्त कर अधीक्षक भू-अभिलेख छतरपुर द्वारा प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन पत्र क्रमांक 789/भू.अ./स.अ.भू.अ./2013 छतरपुर दिनांक 15-05-2013 प्रदर्श पी-1 पंचनामा प्रदर्श पी-2 एवं फील्ड बुक प्रदर्श पी-3 स्वीकार किये गये । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों के आधार पर ही प्रकरण का निराकरण करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसंगत है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख अनुसार सर्वे क्रमांक 566 के भूमिस्वामी अनावेदक सुरेश कुमार आदि है । दो पृथक-पृथक सीमांकनों के आधार पर आवेदक एवं अनावेदक एक-दूसरे की जमीन पर अतिक्रमण बताये जा रहे है । सर्वे क्रमांक 567 का सीमांकन 07-04-2013 को पूर्व में नियत था, जो उस दिनांक को न किया जाकर 27-04-2013 को किया गया । दिनांक 27-04-2013 के सीमांकन पर निगरानीकर्ता रामस्वरूप के द्वारा तहसीलदार के समक्ष आपत्ति भी की थी, जिसे दिनांक 12-02-2014 के आदेश से तहसीलदार ने निरस्त किया है । भूमिस्वामी को अपनी भूमि का सीमांकन कराने का अधिकार है । दिनांक 27-04-2013 के सीमांकन की सूचना एस.एल.आर. के द्वारा जारी भी की गई थी । तहसीलदार के द्वारा दिनांक 12-02-2014 का आदेश उभय पक्षों को सुनने के पश्चात ही किया है । मौका पंचनामा दिनांक 27-04-2013 के अनुसार निगरानीकर्ता रामस्वरूप शर्मा स्वयं मौके पर थे । अत: स्पष्ट है कि दिनांक 27-04-2013 का सीमांकन पक्षकारों की उपस्थिति में किया गया था एवं तहसीलदार ने उभय पक्षों को सुनने के उपरांत ही सीमांकन को अंतिम रूप दिया है । अत: दिनांक 12-02-2014 के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता न होने के कारण निगरानी आवेदन निरस्त किया जाता है ।

(आर.के. जैन) 20/7/18
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर